

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री कैलाश कुमार व्याख्याता राजनीति विज्ञान परिवीक्षाधीन पशिक्षणार्थी राबाउमावि काकडा, नोखा, बीकानेर द्वारा परिवीक्षाकाल में 194 दिवस के असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया था।

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.05.2020 व 10.09.2020 के द्वारा 90 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृति आदेश जारी किया गया। कार्मिक द्वारा 90 दिवस के अतिरिक्त 104 दिवस असाधारण अवकाश निजी कार्य हेतु बिना पूर्व स्वीकृति के लिये गये। उक्त अनुपस्थिति अवधि को कार्मिक के पास चिकित्सकीय एवं अन्य प्रमाण नहीं होने के कारण वित्त विभाग के F.1(2)FD/Rules/2006 Pt-I Jaipur, dated: 06-01-2020 के बिन्दु संख्या 04 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के स्वीकृति पत्रांक प. 7(35) शिक्षा-2/2020 जयपुर, दिनांक : 03.02.2021 के अनुसरण में उक्त अवधि एतद्वारा शून्य (Dies-Non) घोषित की जाती है।

शून्य घोषित (Dies-Non Period) किसी भी प्रयोजनार्थ मान्य/उपयोगी नहीं होगी। संबंधित संस्थाप्रधान शून्य घोषित अवधि का लेखा एवं इन्द्राज संबंधित की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से करें।


(सौरभ स्वामी)

निदेशक,
आई.ए.एस.


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 01/02/2021

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर